

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
ICR Division

Shastri Bhavan, New Delhi

Dated: 9th January, 2024

No.10/14/2018-U3(A) –Whereas, Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra had submitted application on 25.07.2018 for starting two Off-Campus Centres at Marathwada, Jalna, Maharashtra and Bhubaneswar, Odisha.

2. **And whereas**, the application of the Institution deemed to be University was examined by UGC through its Expert Committees. The Committee, after overall assessment, recommended that Letter of Intent (LoI) may be issued to Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai for starting off-campus centres at Jalna (Maharashtra and Bhubaneswar (Odisha) with certain conditions. The recommendations of the UGC Expert Committee were accepted by the Chairman, UGC.

3. **And whereas**, considering the advice of UGC, the Ministry, issued Letter of Intent (LoI) to Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai for revising its MoA/Rules, creation of necessary administrative and academic facilities, making necessary arrangements for teacher accommodation, student hostels, sports and healthcare facilities, procurement of equipment, books and journals and identification of the teaching & non teaching staff in both the proposed off-campus at Jalna (Maharashtra) and Bhubaneswar (Odisha) as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

4. **And further whereas**, the compliance report submitted by the Institution deemed to be University, vide letter No. ICT/VC/ABP/253 dated 22.04.2022, were forwarded to UGC for verification and advice. In response, UGC, vide its letter No.30-6/2018 (CPP-I/DU) dated 26.12.2023, the Chairman, UGC constituted an Expert Committee to look into the issues related to ex-post facto approval for the off-campus centres of Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai at Marathwada, Jalna (Maharashtra) and Bhubaneswar (Odisha).

5. **And whereas**, the Committee, after conducting the virtual visit of the proposed off-campus centres, verifying the records of the Institution and based on the presentation of the Institution deemed to be University, observed that the proposed off-campus centres meet some of the criteria listed for the establishment of off-campus such as accreditation, ranking, approval of regulatory body concerned, etc. However, the following deficiencies were noticed by the Committee:

- i. There are only 476 students and 23 faculty members in the Marathwada, Jalna campus, whereas the requirement as per UGC Regulations, 2023 is minimum of

1000 students of which not less than one-fifth of the students are post-graduate or research students with 50 teachers to become off-campus.

- ii. There are only 478 students and 25 faculty members in the Bhubaneswar campus, whereas the requirement as per UGC Regulations, 2023 is minimum of 1000 students of which not less than one-fifth of the students are post-graduate or research students to become off-campus.
- iii. Lease period of Bhubaneswar campus already expired. Institute of Chemical Technology, Mumbai may extend the lease period for not less than 30 years by renewing the lease agreement.
- iv. MoA is not in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023.

6. **And further whereas**, the Committee, while making the above observations, recommended that the UGC may advise the Ministry of Education for granting ex-post facto approval for the off-campus of the Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai at Marathwada and Bhubaneswar and validation of the degrees of the students passed out from 2018-19 to 2022-23 if it rectifies the above-mentioned deficiencies. The recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 575th meeting (Item No 2.08) held on 07.12.2023.

7. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby accords ex-post facto approval to Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai for starting Off-Campus Centre at Marathwada, Jalna (Maharashtra) and Bhubaneswar (Odisha) duly validating the degrees of the students admitted/passed out in these Campuses during Academic Year 2018-19 to 2022-23 batches. This approval is further subject to condition that the Institution shall rectify the deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee in a time bound manner.

8. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai.

पुर्नितु कलशु

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.

2. The Vice-Chancellor, Institute of Chemical Technology (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra.
3. The Principal Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Maharashtra, 4th Floor, Mantralaya Annex, Madam Cama Road, Nariman Point, Mumbai – 400032.
4. The Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Odisha, Bhubaneswar, Odisha.
5. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
6. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
8. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
9. Guard file / Notification file.

AKS
12/1/24

(Ambrish Kumar Sharma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 2338 3538

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 09 जनवरी, 2024

सं.10/14/2018-यू3(ए) – जबकि, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र ने मराठवाड़ा, जालना, महाराष्ट्र और भुवनेश्वर, ओडिशा में दो ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए दिनांक 25.07.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया था।

2. और जबकि, समवत विश्वविद्यालय संस्थान के आवेदन की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनी विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से की गई थी। समिति ने समग्र मूल्यांकन के बाद यह सिफारिश की कि कतिपय शर्तों के साथ जालना (महाराष्ट्र और भुवनेश्वर (ओडिशा)) में ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विचार करते हुए मंत्रालय ने रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई को यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन/नियमावली को संशोधित करने, आवश्यक प्रशासनिक और शैक्षिक सुविधाओं के सृजन, शिक्षक आवास, छात्रावासों, खेल और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए आवश्यक व्यवस्था करने, उपकरणों, पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद और जालना (महाराष्ट्र) व भुवनेश्वर (ओडिशा) में प्रस्तावित दोनों ऑफ-कैंपसों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पहचान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया है।

4. और आगे जबकि, समवत विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा दिनांक 22.04.2022 के पत्र सं.आईसीटी/वीसी/एबीपी/253 के माध्यम से प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट सत्यापन और सलाह हेतु यूजीसी को अग्रेषित की गई थी। इसके जवाब में, अध्यक्ष, यूजीसी ने दिनांक 26.12.2023 के अपने पत्र संख्या 30-6/2018 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से, मराठवाड़ा, जालना (महाराष्ट्र) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई के ऑफ-कैंपस केंद्रों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन से संबंधित मुद्दों की जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

5. और जबकि, समिति ने प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्रों का वर्चुअल दौरा करने, संस्थान के रिकॉर्ड का सत्यापन करने और समवत विश्वविद्यालय संस्थान की प्रस्तुति के आधार पर यह पाया कि प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्र ऑफ-कैंपस की स्थापना हेतु सूचीबद्ध कुछेक मानदंडों जैसे प्रत्यायन,

रैंकिंग, संबंधित नियामक निकाय का अनुमोदन, आदि को पूरा करते हैं। तथापि, समिति ने निम्नलिखित कमियों का संज्ञान लिया:

- i. मराठवाड़ा, जालना परिसर में केवल 476 छात्र और 23 संकाय सदस्य हैं, जबकि यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार ऑफ-कैंपस बनने के लिए न्यूनतम 1000 छात्रों की आवश्यकता है, जिनमें से 50 शिक्षकों के साथ कम से कम प्रत्येक पांचवां छात्र स्नातकोत्तर या शोध छात्र हो।
- ii. भुवनेश्वर परिसर में केवल 478 छात्र और 25 संकाय सदस्य हैं, जबकि यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार ऑफ-कैंपस बनने के लिए न्यूनतम 1000 छात्रों की आवश्यकता है, जिनमें से 50 शिक्षकों के साथ कम से कम प्रत्येक पांचवां छात्र स्नातकोत्तर या शोध छात्र हो।
- iii. भुवनेश्वर परिसर की लीज अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई लीज करार का नवीकरण करके लीज की अवधि को कम से कम 30 वर्ष तक बढ़ा सकता है।
- iv. संगम ज्ञापन यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुरूप नहीं है।

6. **और आगे जबकि**, समिति ने उपरोक्त समुक्तियां करते हुए सिफारिश की है कि यदि वह उपर्युक्त कमियों को दूर करता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय को मराठवाड़ा और भुवनेश्वर में रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई के ऑफ-कैंपस के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने और 2018-19 से 2022-23 तक उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री को वैधता प्रदान करने के लिए सलाह दे सकता है। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 07.12.2023 को आयोजित 575वीं बैठक (मद संख्या 2.08) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

7. **अब, इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर मराठवाड़ा, जालना (महाराष्ट्र) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई को शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से 2022-23 बैचों के दौरान इन परिसरों में प्रवेशित/उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री को विधिवत मान्य करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करती है। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि संस्थान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा इंगित कमियों को समयबद्ध ढंग से ठीक करेगा।

8. इस मंत्रालय की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा जारी नियमावली/विनियमों का रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई द्वारा पालन जारी रहेगा।

पू. कि. बनर्जी

(पूर्णदु किशोर बनर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002।

प्रति प्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र।
3. प्रधान सचिव, तकनीकी व उच्चतर शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, चौथी मंजिल, मंत्रालय उपभवन, मैडम कामा रोड, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400032.
4. प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर, ओडिशा।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
6. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2.
8. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सीएमआईएस यूनिट को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ।
9. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।



(अम्बरीश कुमार शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: +91 11 2338 3538